न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर सत्यमेव जयते

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

कुलविन्द्र सिंह पुत्र बाघसिंह जटसिख निवासी 45 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील पदमपुर वगैरह।

बनाम

जसविन्द्र पुत्र धर्मसिह पुत्र पाखरसिंह जाति नाईसिख निवासी सिंहपुरा तह. पीलीबंगा वगैरह।

किस्म मुकदमा : धारा–76 एल.आर.एक्ट **अपील संख्या –82/2024**

GCMS No. 2024/.........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2024 संभागीय आयुक्त बीकानेर	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश मोहता जरिये कैवियट उपस्थित। यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 19.06.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब स्थगन प्रा.पत्र व प्रपत्र 3 के संलग्न दस्तावेज शामिल पत्रावली किया। अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश एवं 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने प्रार्थना पत्रों पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने कृषि भूमि वाके रोही चक 45 एल एल डब्ल्यू में मुरब्बा नंबर 57 के किला नंबर 6 ता 25 तादादी 25 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 08.07.1977 को क्रय की, जिसका मुताबिक बैयनामा इंतकाल संख्या 71 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा कब्जाकाश्त प्रार्थीगण का है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जाने व मौके पर काबिज होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2024 पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण की दर्ज कृषि भूमि में कोई रद्दोबदल करवाने में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार है, जिनका विवादित भूमि में हित है। प्रार्थीगण अपीलाधीन आदेश में प्रभावित पक्षकार है। अतः प्रार्थीगण को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में उल्लेखित विवादग्रस्त भूमि के इंतकाल के संबंध में विचाराधीन नियमित वाद गुरजन्ट सिंह वगैरह बनाम अमनप्रीतसिंह वगैरह को उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा दिनांक 28.06.2024 को निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दायर अपील जसविन्द्र सिंह बनाम गुरजन्ट सिंह वगैरह में राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने उक्त वाद व	

डिक्री की क्रियान्विति स्थगित कर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 10.07.2024 पारित किया गया। ऐसी स्थिति में वर्तमान अपील व स्थगन आदेश इन्फक्च्युश हो चुके है। वर्तमान प्रकरण में जो रिमाण्ड आदेश है, वह पूर्णतया सही हैं। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी, स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 19.06.2024 में नायब तहसीलदार बींझबायला द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 696 दिनांक 08.07.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया कि पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर एवं रिकार्ड की पूर्ण जांच के उपरांत इंतकाल स्वीकृत करने की कार्यवाही करें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि अपील में प्रार्थीगण किसप्रकार से हितबद्ध पक्षकार है। अतः अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी निरस्त किया जाकर अपीलांट को इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है। यदि प्रार्थी चाहे तो रिमाण्ड की कार्यवाही के तहत पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। आदेश सुनाया गया। अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/7/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर